14

श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.12 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थितिः-

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (तारापुर को छोड़कर), मनरेगा।

उपस्थिति की समीक्षा के दौरान निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर द्वारा बताया गया कि श्री विभाष कुमार पद्भामन, पंचायत तकनीकी सहायक, धरहरा एवं श्री प्रशांत कुला, पंचायत तकनीकी सहायक, टेटियाबंबर प्रखंड कार्यालय आते ही नहीं हैं। इस निमित्त उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त दोनों पंचायत तकनीकी सहायकों से स्पष्टीकरण मांग कर यदि आवश्यक हो तो संविदा समाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकार के निर्णय हेतु उपस्थापित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से एक माह में अवगत करायेंगे।

1. काम की मांग हेतु कैम्प :-

अप्रैल एवं मई माह में कराये गये महादलित सर्वेक्षण में रोजगार हेतु प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा की गयी जिसके उपरान्त निम्नलिखित आंकड़ें परिलक्षित हुए :-

क्र0	प्रखंड का नाम	कुल प्राप्त आवेदनों की सं0 (अप्रैल+मई)	अब तक रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	मानव दिवस	अभ्युक्ति
1	सदर	15+539=554	325		
2	जमालपुर	-	-	-	प्रतिवेदन नहीं दे सके।
3	बरियारपुर	-	400		
4	धरहरा	1450+1318=2768		13013	
5	खड़गपुर	1250	500	15009	
6	टेटियाबंबर	821	100	3000	
7	असरगंज	518	111	-	
8	संग्रामपुर	892	-	797	
9	तारापुर	-	-	-	अवकाश पर होने के कारण आंकड़े उपलब्ध नहीं।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी, जमालपुर को यह सूचना नहीं है कि प्राप्त हुए आवेदनों में कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है, जो उनकी कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। इस हेतु उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि 24 घंटे के अन्दर प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि किस पंचायत में समय रहते रोजगार नहीं दिया गया है। साथ ही सम्बद्ध पंचायत रोजगार सेवक पर कार्यवाही की अनुशंसा करेंगे अन्यथा यह समझा जाएगा कि उक्त कार्य में उनकी भी सहभागिता है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, असरगंज द्वारा बताया गया कि कई महादलितों को रोजगार हेतु नोटिस निर्गत किया गया परन्तु वे कार्य करने नहीं आए। निदेश दिया गया कि पुनः अंतिम नोटिस निर्गत करें कि यदि वे कार्य करने नहीं आते हैं तो नाम सहित प्रतिवेदन भेजा जाये।

कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर द्वारा बताया गया कि उनके प्रखंड में कुल 797 मानव दिवस सृजित किये गये हैं। यह आंकड़ा काफी आश्चर्यजनक प्रतीत होता है एवं इससे स्पष्ट होता है कि प्रखंड में न तो कोई कार्य कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है और न ही पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ही किया जा रहा है। यदि मात्र 30 परिवारों को भी कार्य दिया गया होता तो भी इससे अधिकतम मानव दिवस का सृजन हुआ होता। अतः कार्य के प्रति सेवदनशीलता एवं रूचि नहीं रखने के निमित्त कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर एवं संग्रामपुर प्रखंड में पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवकों के अप्रैल एवं मई का वेतन काटकर भुगतान करने का निदेश दिया जाता है। यदि भविष्य में कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर द्वारा किसी भी पंचायत रोजगार सेवक को वेतन दिये जाने का प्रयास किया जाता है तो उसे गबन मानते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का निदेश उप विकास आयुक्त, मुंगेर को दिया गया।

कार्यक्रम पदाधिकरी, तारापुर के अवकाश में चले जाने के कारण उनके कार्यों के प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी।

2. मानव दिवस का सृजन :-

मानव दिवस का सृजन संग्रामपुर, जमालपुर एवं तारापुर प्रखंड में अत्यन्त चिंताजनक है। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पंयायतों में कम से कम 100 मजदूरों को प्रतिदिन कार्य देना सुनिश्चित किया जाये तथा कार्य न करने वाले पंचायत रोजगार सेवक/मुखिया के विरूद्ध कार्यवाही से प्रतिवेदन साक्ष्य सहित भेजा जाये। उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा योजनाओं की पूर्णता की पंचायतवार समीक्षा करें तथा शून्य मानव दिवस वाली पंचायतों की पहचान कर पंचायत रोजगार सेवक पर कठोरतम कार्यवाही की जाये।

3. सामाजिक वानिकी एवं अन्य कार्यों हेतु विभागीय दिशा-निर्देश :-

सरकार द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायतों में वृक्षारोपण किया जाना है जिससे संबंधित दिशा-निर्देश सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अन्तर्गत यह निदेश दिया गया है कि जिन पंचायतों को जितने पौधों की जरूरत होगी वे उतनी ही पौधे की मांग डी0आर0डी0ए0, मुंगेर से करेंगे एवं कोई भी पंचायत सीधे किसी एजेन्सी/फर्म से पौधे की खरीदगी नहीं करेगा।

उक्त कार्य की सफलता हेतु सभी कार्यक्रम पदाधिकारी अपनी अग्रिम कार्य योजना में इसे प्राथमिकता में रखते हुए कार्य पूर्ण करायेंगे।

विदित हो कि पूर्व में नौवागढ़ी उत्तरी में पौधों की रोपणी की गयी थी जिसके अद्यतन स्थिति की जानकारी एकत्रित करने हेतु निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर को स्थल निरीक्षण कर फोटोग्राफी करने हेतु एक जांच दल का गठन किया जाता है जो जांच कर यह प्रतिवेदित करेंगे कि लगाये गये पौधों में कितने पौधे वर्तमान में मृत हो गये है। साथ ही यह भी जांच करेंगे कि पौधों की खरीदगी एवं रोपणी में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था अथवा नहीं।

4. मोबाईल इन्सपेक्शन रिपोर्ट :-

सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को Android Phone तथा mlesa Software दिया गया है ताकि वे निरीक्षण प्रतिवेदन नरेगा साईट से ही GPS/GPRS के माध्यम से फोटोग्राफ के साथ भेज सके। किन्तु पिछले एक माह से कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भेजे जा रहे प्रतिवेदनों की संख्या में लगातार ह्रास हुआ है। निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को पूर्व में निदेश दिया गया था कि प्रतिदिन MIR (Mobile Inspectiomn Report) का अवलोकन कर विचारणीय बिन्दु संचिका में उपस्थापित करें। निदेशक, एन0ई0पी0 द्वारा भी उक्त कार्य का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। यह खेदजनक है। अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि सभी कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिदिन कम से कम तीन प्रतिवेदन अवश्य भेंजे। जिस दिन कार्यक्रम पदाधिकारी भ्रमण न कर कार्यालय कार्य अथवा किसी बैठक में होंगे तब भी कार्यालय कार्य अथवा बैठक से ही MIR प्रेषित करेंगे।

5. दीवार लेखन :-

विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्येक पंचायतों में योजनाओं की जानकारी हेतु दीवार लेखन कराया जाना है जिसके समीक्षोपरान्त सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक पंचायतों में दीवार लेखन का कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

6. महत्वपूर्ण विभागीय दिशा-निर्देशों का संकलन :-

पूर्व की बैठ्कों में उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया था कि विभाग द्वारा दिये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का जो संकलन उप विकास आयुक्त एवं निदेशक, एन0ई0पी0 को दिया गया है, उसकी एक पुस्तिका छपवाकर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/पंचायत तकनीकी सहायक/पंचायत रोजगार सेवक/मुखिया के बीच वितरित की जाये, किन्तु अभी तक निर्देशिका की छपाई नहीं हो पायी है जो खेदजनक है। अतः निदेश दिया गया कि संकलन में अद्यतन महत्वपूर्ण पत्र/परिपत्र शामिल करते हुए 15 दिनों के अन्दर निर्देशिका की छपाई पूर्ण कर वितरण सुनिश्चित किया जाये।

7. MIS Entry :-

समीक्षा में पाया गया कि वेबसाईट nrega.nic.in से मस्टर रोल का प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में डाटा इन्ट्री का कार्य भी धीमा है। जबकि इस वर्ष ऑनलाईन इन्ट्री का ही कार्य होना है। अतः विभागीय दिशा-निर्देश के मुताबिक डाटा

इन्ट्री का कार्य ससमय पूर्ण कराने हेतु निदेशक, एन0ई0पी0 को नोडल पदाधिकारी बनाया जाता है।

अन्यान्य :-

- मनरेगा योजनान्तर्गत वैसे पदाधिकारी/कर्मी जो लंबे समय से फरार अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश उप विकास आयुक्त, मुंगेर करेंगे।
- जो पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत तकनीकी सहायक अनुपस्थित अथवा फरार हैं उनके संबंध में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी आज ही प्रमाण पत्र देंगे तथा स्थानान्तरण के उपरान्त अभिलेख अपने पास रखने वाले एवं प्रभार नहीं देने वाले कर्मियों की सूची उप विकास आयुक्त, मुंगेर को देंगे ताकि उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जा सके।
- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी वैसे सभी पंचायत रोजगार सेवकों की सूची 10 (दस) दिनों के अन्दर उप विकास आयुक्त, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे जहॉ अभी तक कोई भी मानव दिवस का सृजन नहीं किया गया हो, ताकि उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा उपस्थापित संचिका पर स्थापना समिति में निर्णय संसूचित किया जा सके।
- सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कई प्रखंडों में मजदूरी : सामग्री अनुपात 60:40 से भी खराब है जो विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। अतः पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप अगले आदेश तक 85 प्रतिशत से कम मजदूरी वाली योजना पर कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं इस बात की समीक्षा कर उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे कि किस कार्यो के कारण मजदूरी सामग्री का अनुपात 60:40 से कम हुआ है?

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

03/07/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1388, दिनांक 5/7/2012

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

E:\Ashu Com(D)\Com (D)\2007 letters\s.raju\proceeding\proceeding MNREGA dt 05-06-12.doc

ज्ञापांक 1388, दिनांक 5/7/2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

3/07/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

E:\Ashu Com(D)\Com (D)\2007 letters\s.raju\proceeding\proceeding MNREGA dt 05-06-12.doc